

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या
11/02/2021

रजिस्टर्ड नम्बर
2021/178

प्रवेश तिथि
08-10-2021

निर्णय दिनांक
14-06-2022

1. महेशाली देवी पत्नी जगदीश जाति गुर्जर निवासी ग्राम बवाना गुर्जर तहसील व जिला रेवाड़ी हरियाणा हाल निवासी ग्राम बवेडी तहसील बानसूर जिला अलवर (राज0)

—अपीलांट

बनाम

1. तहसीलदार बानसूर जिला अलवर (राजरथान)

—रेस्पोडेण्ट



अपील विरुद्ध आझा तहसीलदार बानसूर दिनांक 03.07.2019
नामान्तकरण संख्या 892 वाके ग्राम बवेडी तहसील बानसूर जिला
अलवर राज0।

उपरिस्थित:-

—वकील अपीलान्ट

1. श्री अनिल गुप्ता

—: निर्णय :-

अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 03.07.2019 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 892 वाके ग्राम बवेडी तहसील बानसूर अस्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 1709 रकबा 0.01 है0 गै0 मु0 बोरिंग खसरा न0 1710 रकबा 0.97 है0 कुल कित्ता 02 कुल रकबा 0.98 है0 वाके ग्राम बवेडी तहसील बानसूर मुताबिक जमाबंदी संवत् 2065 के खाता संख्या 249 वैय पत्नी चुन्ना, मुकेश पुत्र चुन्ना समभाग हिस्सा 34/95, रामजीलाल, पूरण चन्द, मखनलाल पिसरान चुन्ना सम भाग हिस्सा 45/760, गोपीराम, सुबैसिंह, गोकल, रामसिंह पिसरान जयनारायण समभाग 21/40, 85/96, भगली पुत्री मन्ना 1/96, गोकल पुत्र जयनारायण 5/48, खातेदार काशतकार थे। जिसमें से वैय पत्नी चुन्ना, मुकेश पुत्र चुन्ना, समभाग हिस्सा 34/95, रामजीलाल, पूरण, मखन पिसरान चुन्ना 45/760, सुबैसिंह पुत्र जयनारायण 21/160-85/384 ने अपनी आराजी खसरा न0 में हिस्सा सम्पूर्ण 28079/38480 रकबा 75.47 ऐयर का बेंचान दिनांक 18.10.2013 को जरिये वैयनामा उमेश देवी पत्नी वेदपाल व बाला देवी पत्नी धर्मपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम आलमपुर तहसील तिजारा का बहिस्सा बराबर में बेंचान कर दिया गया जिस वैयनामा के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा मिलान किये जाने पर नामान्तकरण संख्या 602 दिनांक 6.1.2014 को ग्राम पंचायत बवेडी के द्वारा उमेश देवी पत्नी वेदपाल एवं बाला देवी पत्नी धर्मपाल बहिस्से बराबर में स्वीकार किया गया और उक्त नामान्तकरण संख्या 602 का संवत् 2065 की जमाबंदी पर अंकन कर दिया गया है। अपीलान्ट ने मुताबिक हिस्सा जमाबंदी संवत् 2065 एवं नामान्तकरण संख्या 602 वाके ग्राम बवेडी तहसील बानसूर बाला देवी का खरीदशुदा हिस्सा 28079/72960 को दिनांक 30.12.2015 को जरिये वैयनामा खरीद किया गया था, वक्त वैयनामा अपीलाधीन आराजी पर अपीलान्ट के द्वारा कब्जा ले लिया गया था, जिस वैयनामा को अपीलान्ट के द्वारा नामान्तकरण दर्ज करने के लिये तहसीलदार बानसूर के समक्ष पेश किया गया था। नामान्तकरण पर पटवारी हल्का के द्वारा दिनांक 2.2.2016 को वैयनामा दर्ज कर जाँच एवं तस्दीक के लिये तहसीलदार बानसूर को भेजा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

वैयनामा वाके ग्राम बवेडी तहसील

गया बैयनामा पर नामान्तकरण के संबंध में कोई कार्यवाही तीन साल तक नहीं की गयी और दिनांक 03.07.2019 को तहसीलदार बानसूर के द्वारा नामान्तकरण बैजातौर से खारिज करने की नियत से पटवारी हल्का से पुनः रिपोर्ट मांगी गयी पटवारी हल्का द्वारा बदनीयती से रिपोर्ट की गयी कि रिकॉर्ड से मुताबिक वर्तमान जमाबंदी से विक्रय पत्र का हिस्सा मिलान नहीं होता है, और नामान्तकरण अवधिपार है, व काबिल खारिज योग्य है। जिस रिपोर्ट के आधार पर नामान्तकरण संख्या 892 दिनांक 03.07.2019 को खारिज कर दिया गया जो गलत खारिज किया गया है। आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्त के द्वारा दिनांक 30.12.2015 को अपीलाधीन आराजी का बैयनामा विक्रेता बालादेवी से कराया गया था, वक्त बैयनामा जमाबंदी संवत् 2065 में विक्रेता का 28079/72960 हिस्सा था जो आराजी उसके द्वारा खरीद की गयी थी, जिस बैयनामा का नामान्तकरण संख्या 602 बालादेवी के हक में स्वीकृत हुआ था, जिस नामान्तकरण का अमल संवत् 2065 की जमाबंदी में आ गया था। अपीलान्त के द्वारा अपनी खरीदशुदा आराजी का दिनांक 02.02.2016 को बैयनामा नामान्तकरण दर्ज करवाने के लिये तहत अदालत के समक्ष पेश किया गया बैयानामा पर पटवारी हल्का के द्वारा नामान्तकरण संख्या 892 भरकर जाँच व तस्दीक के लिये तहसीलदार को भेजा गया तो करीब तीन साल तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी इस दौरान जमाबंदी संवत् 2070 में बाला देवी के द्वारा खरीदशुदा आराजी के आधार पर स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 602 का अमल करना चाहिये था, लेकिन संवत् 2070 की जमाबंदी बनाते समय उसके खाता संख्या 243 में सुबेंसिंह का हिस्सा 21/40 कर दिया गया जबकि उसका हिस्सा जमाबंदी संवत् 2065-2068 के खाता संख्या 249 में 21/40, 85/384 था और इसी प्रकार नामान्तकरण संख्या 602 में बाला देवी व उमेश देवी के दर्ज हिस्से के अनुसार रिकार्ड का अंकन करने की बजाय नामान्तकरण संख्या 602 हिस्सा मुताबिक जमाबंदी कर दिया गया जो की गलत किया गया है, और संवत् 2070 के इस गलत इन्द्राज के आधार पर अपीलान्त का नामान्तकरण संख्या 892 इस आधार पर खारिज किया गया कि वर्तमान जमाबंदी से विक्रय पत्र का हिस्सा मिलान नहीं होता है, और नामान्तकरण अवधि पार है, जो गलत है, खारिज किये जाने योग्य है। नामान्तकरण संख्या 982 पर एक बार पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 02.02.2016 को होने के बार तीन साल बाद पटवारी हल्का के द्वारा पुनः जो रिपोर्ट मुताबिक जमाबंदी संवत् 2070 के आधार पर रिकॉर्ड मिलान नहीं खाने व अवधिपार होने की रिपोर्ट की गयी है, पटवारी हल्का को कोई अधिकार नहीं था, जबकि जमाबंदी संवत् 2065 एवं नामान्तकरण संख्या 602 के आधार पर करनी चाहिये थी। नामान्तकरण संख्या 602 व जमाबंदी संवत् 2065 से रिकॉर्ड मिलान साबित था इस प्रकार पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर नामान्तकरण संख्या 892 तहत अदालत के द्वारा खारिज किया गया है, जो निरस्त योग्य है। अपीलान्त अनपढ महिला है, कानून के बारे में अनभिज्ञ है, जिसके द्वारा नामान्तकरण दर्ज करवाने के लिये तहत अदालत के समक्ष पेश किया गया था, जो कार्यवाही हेतु पटवारी हल्का को भेज दिया गया था, पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्त को बताया गया कि नामान्तकरण अपने आप स्वीकृत हो जावेगा और आने जाने की जरूरत नहीं है। नामान्तकरण स्वीकृत होने के बाद स्वतः ही जमाबंदी में अमल आ जावेगा। माह अगस्त 2019 में ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिये अपीलान्त के द्वारा खरीदशुदा आराजी की जमाबंदी चोही गयी तो पटवारी हल्का के द्वारा बताया कि बैयानामा के आधार पर नामान्तकरण स्वीकृत नहीं होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में अमल नहीं आया है। नामान्तकरण संख्या 892 को बैयनामा से राजस्व रिकॉर्ड का मिलान नहीं खाने के कारण दिनांक 03.07.2019 को खारिज कर दिया गया है। जिस पर अपीलान्त द्वारा नामान्तकरण व जमाबंदी की नकल के लिये आवेदन दिनांक 11.10.2019 को किया गया तो पटवारी हल्का के द्वारा जमाबंदी तो उपलब्ध करादी लेकिन नामान्तकरण की नकल यह कह कर देने से इन्कार कर दिया कि अभी रिकॉर्ड ऑनलाईन कम्प्यूटराईज किया जा रहा है। अभी उपलब्ध नहीं हो पायेगी जो नामान्तकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि अपीलान्त को दिनांक 05.12.2019 को उपलब्ध करायी गयी। जिस पर कानूनी सलाह ली गयी बिना किसी देरी के अपील प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम दफा 5 के पेश कर अपील अन्दर अवधि मियाद शुमार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.07.2019 नामान्तकरण संख्या 892 वाके ग्राम बवेडी तहसील बानसूर को निरस्त फरमाया जावे।

अतिरिक्त जिना कलेक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया है कि तहत अदालत द्वारा नामान्तरण संख्या 892 निर्णय दिनांक 03.07.2019 वाके ग्राम बबेड़ी तहसील बानसूर विधिवत जांच कर निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान वकील अपीलाण्ट व विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा-05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलाण्ट ने यह अपील तहत अदालत के निर्णय नामान्तरण संख्या 892 दिनांक 03.07.2019 ग्राम बबेड़ी तहसील बानसूर के विरुद्ध दिनांक 30.12.2019 को न्यायालय में पेश की है, जो करीब 5 माह पश्चात पेश की गई है, विलम्ब की अवधि असाधारण नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र दफा-05 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। अपीलाण्ट का मुख्य तर्क यह है कि अपीलाण्ट के द्वारा दिनांक 30.12.2015 को अपीलाधीन आराजी का बयनामा विक्रेता बाला देवी से कराया गया। वक्त बयनामा जमाबंदी संवत् 2065 में विक्रेता का 28079/72960 हिस्सा था। आराजी उसके द्वारा खदीद की गई थी। बयनामा का नामान्तरण संख्या 602, बाला देवी के हक में स्वीकृत हुआ। नामान्तरण का अमल संवत् 2065 की जमाबंदी में आ गया। अपीलाण्ट के द्वारा अपनी खरीदशुदा आराजी का दिनांक 02.02.2016 को बयनामा नामान्तरण दर्ज कराने के लिये तहत अदालत के समक्ष पेश किया गया। बयनामें पर पटवारी हल्का के द्वारा नामान्तरण संख्या 892 भरकर जांच व तस्दीक के लिये तहसीलदार के समक्ष पेश किया गया जिस पर करीब 3 वर्ष तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस दौरान जमाबंदी संवत् 2070 में, बालादेवी, के द्वारा खरीदशुदा आराजी के आधार पर स्वीकृत नामान्तरण संख्या 602 का अमल करना चाहिये था, लेकिन संवत् 2070 की जमाबंदी बनाते समय उसके खाता संख्या 243 में सूबे सिंह का हिस्सा 21/40 कर दिया जबकि उसका हिस्सा जमाबंदी संवत् 2065-68 के खाता संख्या 249 में 21/40, 85/384, था और इसी प्रकार नामान्तरण संख्या 602 में बालादेवी व उमेश देवी के दर्ज हिस्से के अनुसार रिकार्ड का अंकन करने की बजाय हिस्सा मुताबिक जमाबंदी कर दिया गया। संवत् 2070 के इस गलत इन्द्राज के आधार पर अपीलाण्ट का नामान्तरण संख्या 892 ग्राम बबेड़ी का मुताबिक बयनामा 6407 दिनांक 30.12.2015 के अनुसार पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 02.02.2016 को दर्ज किया गया है, उक्त नामान्तरण पर पुनः पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 03.07.2019 को पुनः जांच कर नोट अंकित किया है कि रिकार्ड से मिलान किया वर्तमान जमाबंदी से विक्रय पत्र का हिस्सा मिलान नहीं होता है। नामान्तरण अवधि पार है, जिसके आधार पर दिनांक 03.07.2019 को नामान्तरण खारिज किया गया है जो न्यायहित में उचित प्रतीत नहीं होता है। अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 892 ग्राम बबेड़ी तहसील बानसूर निर्णय दिनांक 03.07.2019 को अपीलांट की हद तक निरस्त किया जाता है तथा अपील अपीलांट तहसीलदार बानसूर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि बयनामा दिनांक 30.12.2015 की भली-भांति परीक्षण/जांच कर नियमों के आलोक में अपीलाण्ट को पुनः साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिवत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम श्रेणी)
अलवर (राजस्थान)

बबेड़ी तहसील वाके ग्राम